भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008

(2008 का संख्याक 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2008

सं. 5–4/2000–प्र0एवंका0 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप–धारा (1) तथा धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1.(1) इस विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में,–

(क) उप–विनियम (i) में, खंड (ख) में, "अधिकारी संवर्ग का गठन" शब्दों के स्थान पर "अधिकारी संवर्ग का गठन जिसमें इन विनियमों के विनियम 10क के अंतर्गत स्थायी रूप से आमेलित अधिकारी शामिल हैं" शब्द, संख्याएं और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप–विनियम (iii) में,–

(i) तालिका क के अंतर्गत, "ग्रेड/पद" शीर्षक के अधीन –

(अ) "संयुक्त सलाहकार" प्रविष्टि के स्थान पर "संयुक्त सलाहकार/स्टाफ अधिकारी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(आ) "अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि के स्थान पर "अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) तालिका क के नीचे, "ग्रेडों के संख्या और पदों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "ग्रेडों की संख्या और पदों की संख्या (जिनमें प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों में पदों की संख्या भी शामिल हैं)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में,–

(क) उप–विनियम (i) में, –

(i) प्रारंभिक भाग में, "निम्नलिखित रीति से" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित रीति से तथा अनुसूची–I के अनुरूप" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तालिका में,–

(I) सचिव के पद के सम्मुख, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती (डीआर)" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(III) सलाहकार के पद के सम्मुख, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(IV) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(V) "संयुक्त सलाहकार" पद के पश्चात, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता/अनुभव
"स्टाफ अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची–I के अनुसार'';

(VI) उप–सलाहकार/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

पद का नाम	**भर्ती का तरीका**	**अर्हता/अनुभव**
''उप सलाहकार	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची I के अनुसार
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची I के अनुसार
तकनीकी अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
पुस्तकालयाध्यक्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/ सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार'';

(ख) उप–विनियम (ii) के पश्चात, निम्न उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''(iii) ट्राई के संवर्ग में शामिल तथा सचिव, प्रधान सलाहकार, सलाहकार और संयुक्त सलाहकार के पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले अधिकारी भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ–साथ इन पदों पर प्रवरण समिति द्वारा साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन तथा उसकी योग्यता/कार्य के अनुभव के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रतिनियुक्ति, आमेलन अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।''

4. प्रधान विनियमों के विनियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''भाग Vक – आमेलन

10क.(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पहले से ही नियुक्त किसी व्यक्ति को, उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी आमेलन के लिए नियुक्त कर सकेगाः

परंतु यह कि कोई व्यक्ति प्राधिकरण में आमेलित नहीं किया जाएगा, तब तक कि ऐसे व्यक्ति ने,–

(क) प्राधिकरण द्वारा ऐसा कहे जाने पर, प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने का अपना विकल्प लिखित रूप में न दिया हो; और

(ख) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूरा न किया हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकेगा,–

(क) प्रवरण समिति की सिफारिश पर तथा प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) ऐसे व्यक्ति के आमेलन के लिए, यथास्थिति, मूल मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकाय के साथ परामर्श करने पर।''।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 11 में,–

(क) खंड (ii) में, "उस ग्रेड मे ंविशेष रूप से कतिपय वरिष्ठता" शब्दों के पश्चात "प्राधिकरण द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

(ii क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में आमेलित किया गया हो, उसकी उस ग्रेड में, जिसमें वह आमेलित हुआ है, वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि उसने अपने मूल विभाग में वही अथवा समकक्ष ग्रेड नियमित आधार पर पहले ही (आमेलन की तारीख को) धारित किया हुआ है, तो उस ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि उसे निम्न के अध्यधीन वरिष्ठता प्रदान की जाएगी–

(क) वह तारीख जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है; अथवा
(ख) वह तारीख जिसको वह उसके मूल विभाग में समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है;

इनमें से जो भी पहले हो:

परंतु यह कि उक्त सिद्धांतों के अनुरूप किसी स्थानांतरिती की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे आमेलन की तारीख से पूर्व आगामी उच्च ग्रेड में हुई किसी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।"

6. प्रधान विनियमों के विनियम 12 में, "अल्पकालिक आवश्यकता" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष से अनधिक अल्पकालिक आवश्यकता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. प्रधान विनियमों के विनियम 13 में, "और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" शब्दों के स्थान पर "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. प्रधान विनियमों के विनियम 14 में,–

(क) उप–विनियम (i) में, खंड (ख) में, "कर्मचारी संवर्ग का गठन" शब्दों के पश्चात "कर्मचारी संवर्ग का गठन जिनमें इन विनियमों के विनियम 21क के अंतर्गत स्थायी रूप से आमेलित कर्मचारी शामिल हैं" शब्द, संख्याएं और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप–विनियम (iii) में,–

(i) तालिका ख के नीचे,–

(अ) "कनिष्ठ लेखा अधिकारी" पद का लोप किया जाएगा;

(आ) "फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थातः–

"फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर";

(ii) तालिका ख के नीचे, "ग्रेडों की संख्या तथा पदों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "ग्रेडों की संख्या तथा पदों की संख्या (जिनमें प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों में पदों की संख्या भी शामिल हैं)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. प्रधान विनियमों के विनियम 16 में,–

(क) उप–विनियम (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) कर्मचारी संवर्ग की प्रारंभिक स्थापना के पश्चात, यदि खंड 14 के उप–खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी ग्रेड में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, अथवा किसी भी ग्रेड में नए पद सृजित किए जाते हैं, तो उन्हें अनुसूची II के अनुरूप तथा निम्नलिखित रीति से भरा जाएगाः

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता/अनुभव
सहायक/वैयक्तिक सहायक	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
आशुलिपिक	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
अवर श्रेणी लिपिक	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
चालक (ग्रेड I)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची II के अनुसार
चालक (ग्रेड II)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)	पदोन्नति	अनुसूची II के अनुसार
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
डिस्पैच राइडर	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
परिचर	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार

10. प्रधान विनियमों के विनियम 21 के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"भाग XIक – आमेलन

21क. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पहले ही नियुक्त व्यक्तियों को, उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी आमेलन के लिए नियुक्त कर सकेगाः

परंतु यह कि कोई व्यक्ति प्राधिकरण में आमेलित नहीं किया जाएगा, तब तक कि ऐसे व्यक्ति ने,–

(क) प्राधिकरण द्वारा ऐसा कहे जाने पर, प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने का अपना विकल्प लिखित रूप में न दिया हो; और
(ख) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूरा न किया हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकेगा,–

(क) प्रवरण समिति की सिफारिश पर तथा प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और
(ख) ऐसे व्यक्ति के आमेलन के लिए, यथास्थिति, मूल मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकाय के साथ परामर्श करने पर।''।

11. प्रधान विनियमों के विनियम 22 में,–

(क) खंड (ii) में, "उस ग्रेड में विशेष रूप से कतिपय वरिष्ठता" शब्दों के पश्चात, "प्राधिकरण द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(ii क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में आमेलित किया गया हो, उसकी उस ग्रेड में, जिसमें वह आमेलित हुआ है, वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि उसने अपने मूल विभाग में वही अथवा समकक्ष ग्रेड नियमित आधार पर पहले ही (आमेलन की तारीख को) धारित किया हुआ है, तो उस ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि उसे निम्न के अध्यधीन वरिष्ठता प्रदान की जाएगी–

(क) वह तारीख जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है; अथवा
(ख) वह तारीख जिसको वह उसके मूल विभाग में समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है;

इनमें से जो भी पहले होः

परंतु यह कि उक्त सिद्धांतों के अनुरूप किसी स्थानांतरिती की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे आमेलन की तारीख से पूर्व आगामी उच्च ग्रेड में हुई किसी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।"

12. प्रधान विनियमों के विनियम 23 में, "अल्प/मध्यमकालिक आवश्यकता" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष से अनधिक अल्पकालिक आवश्यकता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. प्रधान विनियमों के विनियम 24 में, "और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" शब्दों के स्थान पर "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. प्रधान विनियमों के विनियम 24 के पश्चात, **"भाग XIV – प्रकीर्ण"** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"भाग XIV – प्रकीर्ण
(अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू)

15. प्रधान विनियमों के विनियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"27. कतिपय मामलों में उच्च ग्रेडों और निम्न ग्रेडों के कर्तव्यों का निवर्हनः

नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, निम्न का निदेश दे सकेगा,–

(क) किसी अधिकारी या कर्मचारी को आदेश में यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए आगामी उच्च ग्रेड का कार्य देखने के लिए जबकि वह बिना किसी आर्थिक लाभ के किसी विशेष पद या उत्तरदायित्व को धारण करना जारी रखे हुए हो;
(ख) किसी अधिकारी को, जोकि ऐसा पद धारण करते हुए संवर्ग में किसी उच्च ग्रेड से संबंधित हो, बिना किसी आर्थिक हानि के तत्काल निचले ग्रेड में किसी पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को देखने के लिए''।

16. प्रधान विनियमों की अनुसूची I में,–

(क) सचिव के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, ''लागू नहीं'' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में,–

(I) "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"(v) अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य में डॉक्टोरेट डिग्री";

(ख) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, ''लागू नहीं'' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,–

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) सलाहकार के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, ''लागू नहीं'' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,–

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,–

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) "संयुक्त सलाहकार" के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

पद का नाम	**भर्ती का तरीका**	**सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव**	**पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि**	**प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव**	**सीधी भर्ती के लिए आयु**
"स्टाफ अधिकारी	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	लागू नहीं	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से पदोन्नति।	केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी जो (i) समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	लागू नहीं'';

(च) उप सलाहकार के पद के सम्मुख,–

(अ) ”भर्ती का तरीका” शीर्षक के अधीन, ”–तदैव–“ प्रविष्टि के स्थान पर, ‘‘पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती‘‘ प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) ”प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन,–
(I) प्रविष्टि में, ”केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(छ) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद के सम्मुख,–

(अ) ”भर्ती का तरीका” शीर्षक के अधीन, ”–तदैव–“ प्रविष्टि के स्थान पर, ‘‘पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन‘‘ प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) ”सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन, ‘‘लागू नहीं‘‘ प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(इ) ”प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, ”केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ई) ”सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए आयु” शीर्षक के अधीन, ‘‘लागू नहीं‘‘ प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ज) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख,–

(अ) ”भर्ती का तरीका” शीर्षक के अधीन, ”–तदैव–“ प्रविष्टि के स्थान पर, ‘‘पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती‘‘ प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) ”प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, ”केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(झ) प्रधान निजी सचिव के पद के सम्मुख,–

(अ) ”भर्ती का तरीका” शीर्षक के अधीन, ”–तदैव–“ प्रविष्टि के स्थान पर, ‘‘पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन‘‘ प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) ”सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन, ‘‘लागू नहीं‘‘ प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(इ) ”प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव” शीर्षक के अधीन,–
(I) प्रविष्टि में, ”केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ई) ”सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए आयु” शीर्षक के अधीन, ‘‘लागू नहीं‘‘ प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ञ) तकनीकी अधिकारी पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,–
(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ट) अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सम्मुख,–

(अ) "पद का नाम" शीर्षक के अधीन, "अनुभाग अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
(आ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ठ) निजी सचिव के पद के सम्मुख,–

(I) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "–तदैव–" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती''

(II) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ड) अंत में आने वाली टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''टिप्पणी 1. – दूरसंचार में नेटवर्क्स (जिसमें फिक्सड, मोबाइल, कन्वर्ज्ड नेटवर्क, विनियामक प्रर्वत्तन और सेवा गुणवत्ता शामिल हैं) से संबंधित मामलों का निपटान करने वाले प्रधान सलाहकार/सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, यथास्थिति, पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी और/अथवा दूरसंचार इंजीनियरी में डिग्री एक अनिवार्य अर्हता होगी तथा उम्मीदवार दूरसंचार के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 2. – टिप्पणी 1 के अंतर्गत न आने वाले प्रधान सलाहकार/सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, यथास्थिति, पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, यथास्थिति, व्यवसाय प्रशासन/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/इंजीनियरी/विधि/विज्ञान/कला में मास्टर्स/स्नातक डिग्री अथवा, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स ऑफ इंडिया/इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ

इंडिया की सदस्यता एक अनिवार्य अर्हता होगी तथा उम्मीदवार प्रासंगिक क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 3. – यथास्थिति, प्रधान सलाहकार, सलाहकार, संयुक्त सलाहकार, स्टाफ अधिकारी, उप सलाहकार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष और निजी सचिव के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु किसी भी स्थिति में पदों के भरे जाने के लिए आवेदनों की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4. – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त तथा फीडर संवर्ग में पद धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे आगामी उच्च पद में पदोन्नति के लिए विचार किए जाते रहेंगे तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के अन्य सभी उपबंध, जैसे कि वे ऐसे प्रारंभन से पूर्व थे, ऐसे संशोधन से पूर्व नियुक्त हुए ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होना जारी रहेंगे।

टिप्पणी 5. – इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता मानदण्ड की पूर्ति–मात्र ही किसी व्यक्ति–विशेष को आगामी उच्च ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पदोन्नति के मामलों पर आगामी उच्च ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तात्कालिकता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

17. प्रधान विनियमों की अनुसूची II में,–

(क) "कनिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक" के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

"पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
"सहायक	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक डिग्री, अभ्यर्थी कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।	अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति जिनका कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो।	केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी जो, (i) समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) 3050–4590 रू0 के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, तथा कम्प्यूटर का	28 वर्ष से अधिक नहीं"

				कार्यसाधक ज्ञान रखते हों।	

(ख) वैयक्तिक सहायक के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) आशुलिपिक के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) अवर श्रेणी लिपिक के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ड.) चालक (ग्रेड I) और चालक (ग्रेड II) के पदों के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;
(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(च) चालक (ग्रेड II) के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

''पद का नाम	**भर्ती का तरीका**	**सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव**	**पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि**	**प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव**	**सीधी भर्ती के लिए आयु**
"फोटोकॉपी मशीन	पदोन्नति	लागू नहीं	फोटाकॉपी मशीन ऑपरेटर जिसने उस ग्रेड	लागू नहीं	लागू नहीं

ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)			में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो		

(छ) फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर और डिस्पैच राइडर के पदों के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके अभाव में पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि के स्थान पर, ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि (i) के पूर्व, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक या स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो, अर्थातः–" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ज) परिचर के पद के सम्मुख,–

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, ''प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती'' प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(झ) अंत में, निम्नलिखित टिप्पणियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''टिप्पणी 1. – सहायक, वैयक्तिक सहायक, अवर श्रेणी लिपिक, चालक (ग्रेड I), चालक (ग्रेड II), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर तथा परिचर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु, किसी भी स्थिति में, पदों के भरे जाने के लिए आवेदनों की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2. – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त तथा फीडर संवर्ग में पद धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे आगामी उच्च पद में पदोन्नति के लिए विचार किए जाते रहेंगे तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के अन्य सभी उपबंध, जैसे कि वे ऐसे प्रारंभन से पूर्व थे, ऐसे संशोधन से पूर्व नियुक्त हुए ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होना जारी रहेंगे।

टिप्पणी 3. – चालक (ग्रेड I), चालक (ग्रेड II), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर तथा परिचर के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा में बुनियादी एवं पुनश्चर्या पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी 4 – इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता मानदण्ड की पूर्ति–मात्र ही किसी व्यक्ति–विशेष को आगामी उच्च ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पदोन्नति के

मामलों पर आगामी उच्च ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तात्कालिकता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

18. प्रधान विनियमों की अनुसूची III में,–

(क) क्रमांक 3 के सम्मुख, "पद का नाम" शीर्षक के अंतर्गत, "संयुक्त सलाहकार" प्रविष्टि के स्थान पर "संयुक्त सलाहकार/स्टाफ अधिकारी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) क्रमांक 8, 9, 9क, 10 और 11 के सम्मुख, "पद का नाम'' और ''प्रवरण समिति की संरचना'' शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :

क्रमांक	पद का नाम	प्रवरण समिति की संरचना	
8	सहायक और समकक्ष	सलाहकार [प्र0एवंका0] संयुक्त/उप सलाहकार वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
9	आशुलिपिक अवर श्रेणी लिपिक	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
9क	*{फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)}*/फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर/डिस्पैच राइडर	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
10	चालक (ग्रेड I) चालक (ग्रेड II)	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
11	परिचर	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा

(बिनोद कुमार)
सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

टिप्पणी – प्रधान विनियम संख्या 5–4/2000 (प्र0एवंका0) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गएः–

संशोधन	संख्या और तारीख
पहला	1–6/2002–प्र0एवंका0 दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–I) दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5–4/2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 17 जून, 2004

चौथा	5–4 / 2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5–4 / 2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5–4 / 2000–प्र0एवंका0 (खंड–II) दिनांक 09 अक्तूबर, 2006